सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 27 राँची, मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

19 नवम्बर, 2025

संख्या-3/आरोप (कोर्ट केस)-15-19/2025-33804 (HRMS)--श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-841/03) के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, दुमका द्वारा दो आरोप प्रपत्र 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

2. श्री चौधरी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका से संबंधित आरोप उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-783/वि0, दिनांक 08.12.2006 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं0-1- प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा दिनांक 12.02.2004 को प्रखण्ड कार्यालय, शिकारीपाड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि आपके द्वारा SGRY स्ट्रीम -1 22.5% अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की 111 योजनाएँ ली गयी है, सभी योजनाएँ मरम्मति की हैं, जैसे सिंचाई कूप मरम्मति, तालाब मरम्मति, भूमि समतलीकरण आदि। सभी योजनाओं का प्राक्कलन एक ही कनीय अभियंता श्री रामेश्वर मिस्त्री द्वारा तैयार

कराया गया है। जबकि योजना पूरे प्रखण्ड में फैली है। यह प्राक्कलन बिना स्थल भ्रमण किये ही तैयार किया गया है, जो बिल्कुल फर्जी है। किसी भी प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया है। इन फर्जी प्राक्कलन पर कार्य कराना घोर वित्तीय अनियमितता है। इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर अग्रिम का भुगतान किया गया है। तालाब मरम्मति की फर्जी प्राक्कलित राशि 20,000/- (बीस हजार) रूपये के विरुद्ध 10,000/- (दस हजार) रूपये, कूप मरम्मति की फर्जी प्राक्कलित राशि 10,000/- (दस हजार) रूपये के प्राक्कलन के विरूद्ध 5,000/- (पाँच हजार) रूपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, आपके और कनीय अभियंता श्री रामेश्वर मिस्त्री के मिलीभगत से इन योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि 11.97 लाख के गबन/दुरूपयोग का भी आरोप है ।

आरोप सं0-2- निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि लाभुकों के द्वारा कुओं तालाब की मरम्मति के लिए जो आवेदन पत्र दिये गये हैं, अभिलेख में उस भूमि का प्लाट संख्या, खाता संख्या जिस पर वे अवस्थित हैं, उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार आपके विरुद्ध सरकारी नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है ।

आरोप सं0-3- निरीक्षण टिप्पणी में यह भी आरोप है कि अभिश्रव के रूप में इस प्रखण्ड में बहुत बड़ी राशि 11,58,016/- (ग्यारह लाख अन्ठावन हजार सोलह) रूपये सन्निहित है। इस राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आपके द्वारा मनमाने ढंग से अन्य मदों की राशि विचलन द्वारा खर्च किया गया है। यह वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। आपके द्वारा अपने हित में सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है तथा सरकारी राशि का मनमाने तरीके से व्यय किया गया है। आपका यह कृत्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियमों के विपरीत है। सरकारी राशि के व्यय पर मितव्ययता बरतना आपका कर्तव्य था, आपने इसके विपरीत कार्य किया है, जो बिहार विविध नियमावली तथा बिहार कोषागार नियमावली के नियमों के विपरीत कार्य है ।

आरोप सं0-4- आपने मनमाने ढंग से अग्रिम की राशि विभागीय एजेंसियों/सरकारी सेवकों को दिया। अग्रिम दिये जाने में आपने सरकारी परिपत्रों को ध्यान में नहीं रखा ।

3. उक्त आरोपों पर श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-9600, दिनांक 28.09.2013 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

4. श्री चौधरी के अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका से संबंधित आरोप उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-264/स्था0, दिनांक 04.02.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

"प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा दिनांक 12.02.2004 को अंचल कार्यालय, शिकारीपाड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सहाय्य जलाशय योजना वर्ष 2003-04 में शिकारीपाड़ा अंचल में कुल 241 चिरागी ग्रामों हेतु 100 X 100 X 10 आकार के एक-एक जलाशय योजना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। उक्त योजना के

कार्यान्वयन हेतु इस अंचल को 1,68,70,000.00 का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। जलाशयों का निर्माण ग्राम विकास समिति के माध्यम से कराया जाना था। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपने जलाशय के निर्माण पर 1,56,39,200.00 का व्यय प्रतिवेदित किया था। परन्तु उसके विरुद्ध प्राप्त की गई भौतिक प्रगति के संबंध में निश्चित रूप में यह नहीं बताया गया कि कितनी योजनाएँ कार्य प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है एवं कितनी जलाशयों में कार्य प्रगति पर है। यह पाया गया कि प्रत्येक योजना में बार-बार अग्रिम दिए गए हैं परन्तु द्वितीय एवं आगे के अग्रिमों की स्वीकृति करते वक्त आपके द्वारा किसी भी तकनीकी पदाधिकारी से योजना की नापी का प्रतिवेदन अभिलेख पर प्राप्त नहीं किया गया। आपके द्वारा प्रखण्ड के किसी कनीय अभियंता को मापी पुस्तिका नहीं उपलब्ध करायी गयी, स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी के द्वारा 1,56,39,200.00 का अग्रिम विभिन्न विकास समितियों को बिना यह बात सुनिश्चित किए कि उनके द्वारा पूर्व में लिए गए अग्रिम के बराबर कार्य सम्पादित कर लिया गया है या नहीं, दिया गया है। अंचलाधिकारी की भ्रष्टाचारपूर्ण कार्रवाई के कारण जलाशय निर्माण की योजना अधर में लटक गई और बहुमूल्य सरकारी राशि का अप्रत्याशित पैमाने पर अव्यय एवं दुरुपयोग किया गया। जलाशय के निर्माण में अप्रत्याशित पैमाने पर अनियमितताएँ बरती गई है। निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए अग्रिम दिए गए हैं। इस बात की परवाह नहीं की गई है कि कार्य हुए या नहीं। जलधारा योजना के अन्तर्गत 1996-97 में बंद कर दी गई योजनाओं को आपके द्वारा स्वार्थसिद्धि के लिए अपने स्तर से प्रारंभ करा दिया गया एवं अंचल खाते में पूर्व से उक्त योजना के अधीन उपलब्ध 5,87,924.00 रूपये के बंदरबॉट की कार्रवाई की गई। अंचल अधिकारी के द्वारा उपायुक्त से भी 1996-97 से बंद योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए अनुमति नहीं ली गई। पहले से पुरानी योजनाओं पर 6-7 वर्षों के अंतराल के बाद निर्माण प्रारंभ किया जाना अंचल अधिकारी के भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। यह कार्य खाते में उपलब्ध 5,87,924.00 रूपये के गबन करने के नियत से प्रारंभ किया गया ।"

5. उक्त आरोपों पर श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-9605, दिनांक 28.09.2013 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

6. श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय को पूर्ण कर विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-628, दिनांक 31.12.2015 द्वारा समेकित जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री चौधरी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संबंधित आरोप संख्या-1,
2, 3 एवं इनके अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा की कार्यावधि से संबंधित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

7. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, श्री चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (viii) के अन्तर्गत इनकी चार वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का

दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-9878, दिनांक 23.11.2016 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, परंतु स्मारित करने के बाद भी इनका उत्तर अप्राप्त रहा ।

8. मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप में फर्जी स्वीकृति-अग्रिम की पुष्टि होने के कारण मामले की गंभीरता के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रस्ताव को पुनर्समीक्षा करने का आदेश दिया गया ।

9. उक्त के आलोक में मामले की पुनर्समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके विरुद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनके कृत्य से सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। अतएव पूर्व में प्रस्तावित दण्ड को पुनर्समीक्षा करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (vii) के तहत् पदावनति की शास्ति निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित करने हेतु द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया-

(i) इनको मूल कोटि (वेतनमान-P.B.-II, 9300-34800/-ग्रेड पे0 5400, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-9) में पदावनत किया जायेगा ।

(ii) मूल कोटि में पदावनत की अवधि 10 (दस) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकेगा ।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में इनकी वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

10. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-10954, दिनांक 31.10.2017 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने पर अंतिम अवसर देते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुनः 7 दिनों के भीतर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अंतिम रूप से समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

11. श्री चौधरी के ज्ञापांक-1723, दिनांक 28.11.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री चौधरी द्वारा समर्पित जवाब के समीक्षोपरांत, इनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध कंडिका-9 में अंकित शर्तों के अधीन पदावनति की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया ।

12. श्री चौधरी के विरूद्ध पदावनति का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-1418, दिनांक 21.02.2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-863, दिनांक 06.04.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गयी ।

13. तत्पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या2863, दिनांक-02.05.2018 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(viii) के तहत् पदावनति की शास्ति निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित किया गया-

(i) इनको मूल कोटि (वेतनमान-P.B.-II, 9300-34800/-ग्रेड पे0 5400, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-9) में पदावनत किया जायेगा ।

(ii) मूल कोटि में पदावनत की अवधि 10 (दस) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकेगा ।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में इनकी वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

14. अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 6891/2017 सिद्धार्थ शंकर चौधरी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2024 को पारित आदेश में विभागीय संकल्प सं0-2863, दिनांक 02.05.2018 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को रद्द कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंथ निम्नवत् है

"36. The other ground for not approaching the Department by filing an Statutory Appeal against the departmental proceeding, it is also evident that in the case of the petitioner, fresh departmental proceeding was initiated on 28.09.2013 even after closure of the enquiry by the Additional Collector vide his report dated 03.09.2009 i.e. Annexure-7 and which was approved up to the Personnel and Administrative Reforms Department and in case of severe punishment when the matter has been approved up to the Higher Authorities of the State, the department will not be in a position to review the order imposed as contained in Annexure-24 dated 02.05.2018.

37. The order dated 02.05.2018 communicated to the petitioner by the Joint Secretary, Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department, Govt. of Jharkhand with the approval of the competent authority, is in complete violation of principles of natural justice and resulted into miscarriage of justice.

38. Thus, the office order dated 02.05.2018 as communicated to the petitioner vide Annexure-24 is set aside and the punishments imposed as mentioned above, is hereby quashed.

39. Accordingly, the Writ Petition is allowed and the petitioner is entitled to all consequential benefits.

40. After the order has been passed, the learned counsel for the petitioner submitted that the department may also be directed to grant monetary benefit and his case may be considered for promotion also.

41. Under the circumstances and in view of the discussions made above, it will be open to the respondents to pass necessary order, in accordance with law."

15. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 22.03.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No. 54 of 2025-State of Jharkhand and Others Vrs. Sidharth Shankar Choudhary दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2025 को आदेश पारित कर उक्त LPA को निरस्त कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"12. We are satisfied that in the instant case, the respondents have not shown sufficient cause for condoning the above period of delay and have acted negligently in taking steps to file the appeal within time.

13. Therefore, the application for condonation of delay is dismissed.. Consequently, the Letters Patent Appeal is also dismissed.

14. All pending applications shall stand closed.

16. LPA No. 54 of 2025- State of Jharkhand and Others Vrs. Sidharth Shankar Choudhary में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय सर्वोच न्यायालय में SLP No. 26295/2025-The State of Jharkhand & others Vs. Sidharth Shankar Choudhary & Ors. दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को पारित आदेश द्वारा SLP को निरस्त कर दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"After hearing learned counsel for the petitioners, we do not find any case is made out for interference with the impugned order. The Special Leave Petition is accordingly dismissed.

Pending applications also stand disposed of."

17. W.P.(S) No. 6891/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री चौधरी द्वारा Cont.(Civil) Case No. 810/2025 सिद्धार्थ शंकर चौधरी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। उक्त अवमानाबाद में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 24.11.2025 को निर्धारित की गयी है तथा उक्त तिथि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को प्रस्तुत करने या रिट याचिका W.P. (S) No. 6891 of 2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करने का निदेश है ।

अतः SLP No. 26295/2025- The State of Jharkhand & others Vs. Sidharth Shankar Choudhary & Ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को

पारित आदेश एवं मामले के सम्यक् विचारोपरांत थी सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-2863, दिनांक 02.05.2018 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को विलोपित किया जाता है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति थी सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	2	3
1	SIDARATH SHANKAR CHOUDHARY JHK/JAS/62	SLP No. 26295/2025-The State of Jharkhand & others Vs. Sidharth Shankar Choudhary & Ors, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को पारित आदेश एवं मामले के सम्यक् विचारोपरांत श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-2863, दिनांक 02.05.2018 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: 20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 27 - 50